राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2616/2015

विनोद कुमार माथुर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, सिंचाई विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन (सिंचाई विभाग) कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.10.2015
आदेश की दिनांक : 23.08.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.07.2015 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी से उसकी पेंशन से कोई वसूली नहीं की जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर सहायक अभियंता के पद से दिनांक 31.08.2011 को कार्यालय अधिशाषी अभियंता, चावली परियोजना, नहर डिवीजन झालावाड से सेवानिवृत्त हो गया और सेवानिवृत्ति से पूर्व अपीलार्थी से नोड्यूज सर्टिफिकेट दिया गया तथा पीपीओ आदि जारी किये गये और अपीलार्थी दिनांक 01.09.2011 से सेवानिवृत्ति पश्चात् पेंशन प्राप्त रहा है। परंतु अधिशाषी अभियंता द्वारा अपीलार्थी से छठा वेतन निर्धारण के समय अतिरिक्त भुगतान होने के संबंध में वसूली जारी की गई है, जो नियम विरूद्ध है और अपीलार्थी को समस्त वेतन निर्धारण एवं सेवानिवृत्ति लाभ आदि प्रदान किये

जा चुके हैं और अपीलार्थी सेवानिवृत्त भी हो चुका है। परंतु फिर भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी से सेवानिवृत्ति पश्चात् वसूली की जा रही है, जो विधि विरूद्ध है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एआईआर 2015 एससी पेज 704 पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह वाले मामले में ऐसे सेवानिवृत्ति पश्चात् विभाग द्वारा वसूली किया जाना विधि विरूद्ध माना है। वर्तमान प्रकरण में भी अपीलार्थी राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है और सेवानिवृत्ति पश्चात् अपीलार्थी से प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वसूली आदेश जारी किया गया है, जो उक्त विधि के विरूद्ध है।

अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.07.2015 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी से उसकी पेंशन से कोई वसूली नहीं की जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की 30 वर्षीय एसीपी दिनांक 06.11.2008 होना चाहिये थी, परंतु पत्र दिनांक 01.02.2011 की अनुपालना में दिनांक 08.05.2015 से संशोधित वेतन निर्धारण किया गया है, जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा वेतन राशि रूपये 31,930/– उठाया गया है, जो राशि रूपये 41,108/– का अधिक भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी ने दिनांक 01.03.2011 से 31.08.2011 तक सहायक अभियंता के पद पर रहते हुये 30 वर्षीय एसीपी में त्रुटि होने के कारण अधिक भुगतान राशि रूपये 9,065/– की वसूली की जानी है और लगभग 5 वर्षों से पेंशन एवं भत्ते आज दिनांक तक अधिक प्राप्त कर लिये गये हैं, जो वसूली योग्य हैं। इस प्रकार वसूली योग्य राशि रूपये 68,553/– है, जो नियम 124 के अंतर्गत अधिक भुगतान की वसूली किये जाने का प्रावधान है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि सेवानिवृति के पश्चात अपीलार्थी से वसूली की कार्यवाही की गयी। अपीलार्थी से वसूली की कार्यवाही किये जाने से पूर्व सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी राजकीय सेवा से दिनांक 31.08.2011 को सेवानिवृत्त हुआ है। वसूली के संबंध में जो आदेश पारित किया गया है, वह दिनांक

15.07.2015 को पारित किया गया है। अतः अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति के लगभग 4 वर्ष पश्चात वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015(1) SCT 195 में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया गया है :–

> *(State of Punjab v Rafiq Masih 2015 (1) SCT 195)*
> *"12. It is not possible to postulate all situations of hardship, which would govern employees on the issue of recovery, where payments have mistakenly been made by the employer, in excess of their entitlement. Be that as it may, based on the decisions referred to herein above, we may, as a ready reference, summarise the following few situations, wherein recoveries by the employers, would be impermissible in law:*
> *(i) Recovery from employees belonging to Class-III and Class-IV service (or Group 'C' and Group 'D' service).*
> *(ii) Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.*
> *(iii) Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.*
> *(iv) Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even though he should have rightfully been required to work against an inferior post.*
> *(v) In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee, would be iniquitous or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover."*

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात कर्मचारियों से वसूली की कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है।

परिणामस्वरूप यह अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य आदेश दिनांक 15.07.2015 अपास्त किया जाता है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी से आदेश दिनांक 15.07.2015 की पालना में कोई वसूली की कार्यवाही नहीं की जाए। यदि पूर्व में अपीलार्थी से इस सम्बन्ध में कोई वसूली की गयी है तो वसूल की गई राशि को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से अपीलार्थी को वापस लौटाई जाए।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)